

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 11 नवम्बर, 2013

विषय : जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी की बाढ़ कटान से विस्थापित हुये परिवारों को बसाये जाने हेतु ली गयी ग्राम परसा-परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज की 0.967 हे० भूमि क्रय हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-791/वि०भू०अ०अ०/बहराइच, दिनांक 29-08-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी की बाढ़ कटान से विस्थापित हुये परिवारों को बसाये जाने हेतु ली गयी ग्राम परसा-परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज की 0.967 हे० भूमि के नियमानुसार क्रय हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू० 42,74,881/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या यू०ओ०-50/1-10-2012-23रिट/12, दिनांक 30-08-2012 द्वारा स्वीकृत रू० 4,46,123/- की धनराशि के क्रम में अवशेष धनराशि रू० 38,28,758/- (रूपये अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

3. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2010/1-10-2012-33(37)/12-टी०सी०-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।
6. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुर्नवास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-1832/X-2013, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(एल० वैकटेश्वर लू.)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या -3205(1)/1-10-2013-33(147)/12, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2-मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-11/12 राजस्व अनुभाग-13/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।